न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 123/2020 जिला सीकर ।

1. कमला पत्नि स्व0 जगदीश्पा प्रसाद यादव।
2. हिम्मत सिंह पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद यादव।
3. वीर सिंह पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद यादव।
   निवासी बल्लुपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 23.10.2019 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री वेदपाल शास्त्री।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–21.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.10.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.10.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2019/8722 दिनाक 17.10.2019 के द्वारा ग्राम बल्लुपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 269, 272, 273, 274, 349, 442, 364, 352 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/2016/4326–53 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम बल्लूपुरा के खसरा नम्बर 269, 272, 273, 274, 349, 442, 364, 352 (खसरा नम्बर 364 रकबा 1.23 है0 में से 0.0432 है0 स्थगन होने के कारण इसको छोडते हुये) में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 23.10.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 एवं अपीलग्रस्त आदेश में अंकित राज0 भू अभि0 नियमो में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलग्रस्त आदेश पारित करने का क्षैत्राधिकार नही है। रास्तो के संबंध में राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 251ए में विहित प्रावधान अनुयोज्य है, अपीलग्रस्त आदेश पूर्वोक्त अधिनियम में विहित प्रावधानो के प्रतिकूल निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस् की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांटस् को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश नैसर्गिक न्याय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

के सुस्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल निरस्तनीय है। निजी रास्ते के लिये राजस्व कर्मचारियो से आधारहीन मिथ्या मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर दिनांक 17.10.2019 को तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की दी गई। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 23.10.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.10.2019 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 22.9.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बल्लूपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 269, 272, 273, 274, 349, 442, 364, 352 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 17.10.2019 को तहसीलदार नीमकाथाना ने रिपोर्ट पटवारी हल्का बल्लूपुरा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 17.10.2019 के अनुसार ग्राम बल्लूपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.44 है0 में से 0.024 है0, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.07 है0 में से 0.0256 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.86 है0 में से 0.0208 है0, खसरा नम्बर 274 रकबा 1.97 है0 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.11 है0 में से 0.0160 है0, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.78 है0 में से 0.08 है0, खसरा नम्बर 364 रकबा 1.23 है0 में से 0.0432 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.29 है0 में से 0.0384 है0 गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संलग्न कर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 पारित किया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 17.10.2019 के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी अंकन किया गया है कि प्रस्वाति रकबा में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कई वर्षो से एवं बारहमासी रास्ता ग्राम बल्लूपुरग्राम बल्लूपुरा से झोझुवाला(बल्लूपुरा) तक जाता है। उक्त रास्ता मौके पर 720 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा है तो मौके पर वर्तमान में चालू हैं। यह रास्ता मौके पर कच्चा है। उक्त रास्ता खातेदारी खसरा नम्बर 269, 272, 273, 274, 352, 364, 349, 442 से गुजरता है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 4326–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

कोई परिवर्तन नही किया गया है। काफी अर्से से खेती नही किये जाने के कारण तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को किस्म परिवर्तन कर वार्षिक अभिलेखो में दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

21/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner